


6-4-2022

बहुलाय उपाखित । वकील वादी
ने वादी की ओर से प्रा. पत्र आदेश
23 नियम 01 CPC का पेश कर निवे
दन किया कि वादी हस्तगत वाद में
संबोधन कर नया वाद लाने एवं
इस वाद को विद्वी करना चाहते हैं
वादी का प्रा. पत्र स्वीकार लिया
जाता है; वादी का वाद अन्तर्गत
धारा 88, 53 RTA विरुद्ध परिवारीय
जरिये विद्वी स्वरीज किया जाता है,
पत्रावली कैशल नुमार होकर नम्बर
ले कम थे।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राणी